राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/विधि/आईसीडीएस/2018 जयपुर, दिनांक :

1. समस्त उप निदेशक, मबावि।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी (वाद),..............................मुख्यालय।

विषयः– लाईट्स वेबसाईट पर प्रभारी अधिकारी (OIC) की सूचना अद्यतन (Update) करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लाईटस वेबसाईट पर प्रभारी अधिकारियों द्वारा लम्बित न्यायिक प्रकरणों से संबंधित सूचनाएँ ऑनलाईन ही प्रेषित की जानी है, परन्तु लाईटस पर दर्ज प्रभारी अधिकारियों से संबंधित सूचना की समीक्षा करने पर यह तथ्य सामने आया है कि कई प्रभारी अधिकारियों का स्थानान्तरण हो चुका है अथवा वे सेवानिवृत हो चुके है पर उनके स्थान पर वर्तमान प्रभारी अधिकारियों से संबंधित आवश्यक सूचना इन्द्राज/अद्यतन नहीं की गयी है जिससे उक्त माध्यम से संबंधित प्रभारी अधिकारी को आवश्यक सूचनाएं संप्रेषित नहीं हो पा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रभारी अधिकारी की **ई–मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर** न्याय विभाग की वेबसाईट (लाईट्स) पर इन्द्राज/अद्यतन करने का श्रम करें जिससे न्यायिक प्रकरणों की सूचना संबंधित प्रभारी अधिकारी को संप्रेषित हो सके। **उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।**

sd.

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/विधि/आईसीडीएस/2018 15675-679 जयपुर, दिनांक : 15/8/18
प्रतिलिपि

1. संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि विभाग, राज. जयपुर।
5. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर